उत्तराखंड   उच्च न्यायालय, नैनीताल

2020 की आपराधिक अपील संख्या 206

उस्मान @ समीर... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य……. प्रतिवादी

श्री परीक्षित सैनी, अपीलकर्ता के वकील।

श्री शुभाष त्यागी भारद्वाज, उप महाधिवक्ता, सुश्री शिवांगी गंगवार, प्रतिवादी/राज्य के लिए संक्षिप्त धारक।

[प्रतिः माननीय लोकपाल सिंह, जे.]

PW1 (शिकायतकर्ता और पीड़िता की बहन) के कहने पर आपराधिक कानून लागू किया गया था, जिन्होंने P.S. के साथ एक रिपोर्ट (एक्सटेंशन A-1) प्रस्तुत की थी। दिनांक 28.03.2016 को 21:35 बजे कोतवाली गंगनहर, रूड़की, जिला हरिद्वार ने बताया कि उसकी बहन, जो नाबालिग है, को आरोपी उस्मान उर्फ समीर, निवासी मकान नंबर 657, बांदा रोड, रूड़की द्वारा दिनांक 11.03 को बहला-फुसलाकर ले जाया गया। .2016, लेकिन आरोपी के पिता ने उन्हें घर में घुसने नहीं दिया और पुलिस को सौंप दिया। मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता को उसके पिता की सुपुर्दगी में दे दिया गया। अपने घर वापस लौटने पर शिकायतकर्ता की बहन ने बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता उसे 27.10.2015 को होटल माया पैलेस में ले गया, जहां उसने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। पुनः दिनांक 08.01.2016 को आरोपी पीड़िता को होटल में ले गयाज्वेल्स, सिविल लाइन्स, रूड़की ने पीड़िता के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया और उसे धमकी दी कि यदि उसने अपने माता-पिता या रिश्तेदारों को कुछ भी बताने की हिम्मत की और उसकी बात नहीं मानी, तो वह उसके पूरे परिवार के सदस्यों की हत्या कर देगा।

2) उक्त रिपोर्ट के आधार पर, आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए, 376 और यौन उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में चिक एफआईआर (एक्सटेंशन ए-6) दर्ज की गई थी। अपराध अधिनियम (POCSO)। मामले की जांच शुरू हुई. आई.ओ. पीड़िता का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया. मजिस्ट्रेट के समक्ष; पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया; आरोपी को गिरफ्तार कर उसका अरेस्ट मेमो तैयार किया, साइट प्लान तैयार किया और स्कूल रजिस्टर और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की कॉपी भी अपने कब्जे में ले ली। आई.ओ. आरोपी की मेडिकल

रिपोर्ट भी हासिल की। जांच पूरी होने के बाद, आरोपी के खिलाफ उन्हीं अपराधों के संबंध में मुकदमे के लिए आरोप पत्र (एक्सट ए-12) दायर किया गया था।

3) मामला सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश (POCSO), हरिद्वार की अदालत को सौंपा गया था। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366A, 376(2)(n) और POCSO एक्ट की धारा 5(i)(l)/6 के तहत आरोप तय किए गए. अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने का दावा किया। इस पर अभियोजन द्वारा पीडब्लू 1 (शिकायतकर्ता एवं की बहन) का परीक्षण कराया गया पीड़ित); पीडब्लू2 सुश्री 'एक्स' (पीड़ित) (नाम गुप्त रखा गया); PW3 (पीड़ित की माँ); PW4 (पीड़ित के पिता); PW5 राकेश चंद्रा (होटल माया पैलेस के प्रबंधक); पीडब्लू6 श्रीमती रजनी देवी (मूलराज गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्या); PW7 संजय कुमार (होटल ज्वेल्स के प्रबंधक); पीडब्लू8 कांस्टेबल गोपाल राम (जिन्होंने लड़की की एफआईआर तैयार की); पीडब्लू9 डॉ. दीपा (जिन्होंने पीड़िता की चिकित्सीय जांच की); PW10 S.I. प्रदीप सिंह तोमर (I.O) और PW11 S.I. रणवीर सिंह। हालाँकि बचाव में किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछे गए सवालों के जवाब में आरोपी ने कहा कि वह निर्दोष है और उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष के सबूत झूठे हैं। आरोपी ने आगे कहा कि उसे अपराध में फंसाया गया क्योंकि वह अलग धर्म का है।

4) ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद आरोपी-अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363, 366A, 376(2)(n) और POCSO अधिनियम की धारा 5(i)(l) / 6 के तहत दोषी ठहराया। दोषी-अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई; धारा 366ए के तहत सात साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना; आईपीसी की धारा 376(2)(एन) के तहत दस साल का कठोर कारावास और 25,000/- रुपये का जुर्माना। दोषी-अपीलकर्ता को जुर्माने के साथ दस साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा भी सुनाई गई POCSO अधिनियम की धारा 5(i)(l)/6 के तहत 25,000/- रु. सभी सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया.

5) पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया कि मैंने कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई मूलराज गर्ल्स इंटर कॉलेज, रामनगर, रूड़की (जिला हरिद्वार) से की। मेरी जन्म तिथि 25.07.1998 है। उस्मान उर्फ़ समीर मेरा परिचित था. वह 2013 से मुझे छेड़ता था। उसने मुझे अपने प्रभाव में ले लिया और मुझसे दोस्ती कर ली। दिनांक 27.10.2015 को वह मुझे रामपुर चुंगी स्थित होटल माया पैलेस में ले गया, जहां उसने मुझे धमकाया और मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसने मुझे यह भी धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे

पूरे परिवार के सदस्यों को मार डालूंगा। इसके बाद दिनांक 08.01.2016 को आरोपी मुझे होटल ज्वेल्स, सिविल लाइंस रूड़की में ले गया और मेरे साथ दोबारा दुष्कर्म किया और धमकी दी कि अगर मैंने घटना के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो वह फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर देगा। दिनांक 11.03.2016 को जब मैं सुबह की सैर के लिए पार्क जा रही थी तो आरोपी मुझे रामनगर में मिला और मुझे रामपुर चुंगी स्थित अपने घर ले गया। घर में उसके माता-पिता और बहन थे. मैंने पूरा घटनाक्रम आरोपी के पिता को बताया, जिन्होंने हम दोनों को थाना गंगनहर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी ने जाते-जाते धमकी दी कि मैंने यह घटना अपने पिता को क्यों बताई और मुझे धमकी दी कि अगर पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की तो वह मेरी बहन और मां को मार डालेगा। पुलिस ने मुझे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मैंउस्मान के कहे अनुसार एस.डी.एम. को वस्तुस्थिति बताई। मैंने पुलिस और एस.डी.एम. के सामने गलत बयान दिये। तनाव में। मजिस्ट्रेट की अदालत में मेरे बयान दोबारा दर्ज किये गये। पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए अपने बयानों को साबित कर दिया। अदालत में। पीड़िता का रूड़की के सरकारी अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया. पेपर नंबर 12बी/1 और 12बी/2 पीड़िता की 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट की सत्यापित प्रतियां थीं। इस प्रकार अपने मुख्य परीक्षण में पीड़िता ने साक्ष्य पेश किया कि आरोपी ने दोस्ती के बहाने 27.10.2015 और 08.01.2016 को होटल माया पैलेस और होटल ज्वेल्स सिविल लाइन्स रूड़की में उसकी इच्छा के विरुद्ध दो बार बलात्कार किया। अपने मुख्य परीक्षण में उसने बताया कि उसने यह बात किसी को नहीं बताई क्योंकि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि वह मेरी आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड कर देगा और मेरे पूरे परिवार के सदस्यों को मार डालेगा।

6) पीडब्लू 3, पीड़िता की मां ने शपथ पर कहा कि आरोपी समीर 11.03.2016 को उसकी छोटी बेटी को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। पीड़िता की जन्मतिथि 25.07.1998 है और उसने मूलराज गर्ल्स इंटर कॉलेज, रूड़की से पढ़ाई की है. समीर पीड़िता को होटल में भी ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पूरी घटना पीड़िता ने अपनी मां को बताई। एफआईआर PW3 की बड़ी बेटी द्वारा दर्ज की गई थी।

7) पीडब्लू4, पीड़िता के पिता ने शपथ पर कहा कि पीड़िता उसकी बेटी है। उसकी उम्र 17 साल है. डेढ़ साल पहले समीर पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले गया और होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने घर वापस लौटने पर पूरी घटना पीडब्ल्यू 4 को बताई। PW4 के अनुसार, पीड़िता मूलराज गर्ल्स इंटर कॉलेज, रूड़की में पढ़ती थी।

8) पीडब्लू 5 राकेश चंद ने शपथ पर कहा कि वह वर्ष 2014 से फरवरी 2017 तक होटल माया पैलेस, रामपुर चुंगी, रूड़की में प्रबंधक के रूप में तैनात थे। उस्मान 27.10.2015 को होटल में आए और उन्हें कमरा नंबर आवंटित किया गया था। 303. वह सुबह 11:09 बजे होटल में आये। और उसी दिन शाम 04:30 बजे कमरा छोड़ दिया। उसके साथ एक लड़की भी थी, जिसे उसने अपना दोस्त बताया। PW5 ने एक्सटेंशन साबित किया। ए-2, रजिस्टर की प्रमाणित प्रति। होटल ज्वेल्स के प्रबंधक पीडब्लू7 संजय कुमार ने बताया कि वह पिछले 5-6 वर्षों से उक्त होटल में काम कर रहे हैं। दिनांक 08.01.2016 को उस्मान एक लड़की के साथ दोपहर में होटल में आया। उस्मान ने लड़की का परिचय अपनी पत्नी के रूप में कराया। उन्हें कमरा नंबर आवंटित किया गया था. 101. वे अगले दिन कमरे से बाहर चले गये। PW7 ने प्रमाणित पेपर नं. 12बी/4 रिकार्ड पर है, जो होटल के रजिस्टर की फोटोकॉपी है, जिसमें क्रमांक पर उस्मान द्वारा एंट्री की गई थी। नंबर 9. मूल रजिस्टर की फोटोकॉपी पी.एस. के पास जमा की गई थी. PW7 द्वारा गंगनहर।

9) पीडब्लू6 श्रीमती। रजनी देवी मूलराज गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। उन्होंने पीड़िता की जन्मतिथि से संबंधित रजिस्टर को प्रमाणित किया. पीड़िता का विवरण sl पर उल्लिखित है। क्रमांक 8831 एस.आर. पंजीकरण करवाना। इस गवाह के अनुसार, पीड़िता ने 28.07.2003 को कक्षा I में कॉलेज में प्रवेश लिया और 28.06.2013 को हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इंटरमीडिएट पूरा किया। एस.आर. के अनुसार रजिस्टर करें, पीड़िता की जन्मतिथि 25.07.1998 है. पीडब्लू6 ने एस.आर. की स्वप्रमाणित प्रति साबित की। एक्सटेंशन के रूप में रजिस्टर करें. हाईस्कूल परीक्षा के संबंध में मूल राजपत्र वर्ष 2012-13 की ए-3 एवं प्रमाणित प्रति (विस्तार ए-4)। पीड़िता की जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण पत्र विस्तारित है। ए-5.

10) पीडब्लू9 डॉ. दीपा चिकित्सा अधिकारी हैं, जिन्होंने पीड़िता की चिकित्सकीय जांच की। शपथपूर्वक अपने बयान में उसने बताया कि दिनांक 29.03.2016 को अपराह्न 03:00 बजे पीड़िता को सरकारी अस्पताल, रूड़की लाया गया। PW9 ने मेडिकल जांच रिपोर्ट (एक्सट. A-8) और पूरक मेडिकल रिपोर्ट (एक्स. A-9) को प्रमाणित किया।

11) पीडब्लू 11 एस.आई. रणवीर सिंह ने बताया कि 10.03.2016 को सलीम अपने बेटे उस्मान और पीड़िता को पी.एस. में लाया था। कोतवाली गंगनहर। पीडब्लू11 ने पीड़िता को 11.03.2016 को एस.डी.एम., रूड़की के समक्ष पेश किया जहां धारा 164 सीआरपीसी के तहत उसके बयान दर्ज किए गए। इसके बाद के आदेश पर पीड़िता को नारी निकेतन भेज दिया गयाएस.डी.एम., क्योंकि उनके सुपुर्दगी के समय उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था।

12) पीडब्लू2 (पीड़िता) के बयान की पुष्टि न केवल पीडब्लू1 (शिकायतकर्ता) के बयान से होती है, बल्कि मेडिकल जांच रिपोर्ट (एक्सटेंशन ए-8) से भी होती है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पी/वी जांच में हाइमन पीड़ित का शरीर टूटा हुआ पाया गया। पीड़िता सहित इन गवाहों के बयान स्वाभाविक और विश्वसनीय हैं।

13) पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज नहीं कराया और इसके बजाय एस.डी.एम., रूड़की के समक्ष बयान दर्ज करने का विकल्प चुना। हालांकि एस.डी.एम. एक मजिस्ट्रेट भी है, लेकिन जब रूड़की में कई न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध थे, तो औचित्य की मांग यह थी कि पीड़िता के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किए जाने चाहिए थे। लेकिन, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को जो कारण सबसे अच्छे से मालूम थे, उन्होंने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान दर्ज करने का विकल्प चुना। एस.डी.एम. के समक्ष धमकी का आरोप घटना के समय पीड़िता, एक नाबालिग, द्वारा लगाया गया है और आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ धमकी के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया है। पीड़िता द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष शपथ पर दिए गए अपने बयान में यह स्पष्ट किया गया है कि यह आरोपी-अपीलकर्ता ही था जिसने उसे अपने पक्ष में बयान देने के लिए धमकी दी थी और ऐसी धमकी के तहतउसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत गवाही दी। अपीलकर्ता के आदेश के अनुसार. गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की भूमिका, जिसने पीड़िता को एस.डी.एम. के सामने पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करने के बजाय यह अत्यधिक संदेहास्पद है जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने एसडीएम के सामने दर्ज पीड़िता के बयान को प्रबंधित किया।

14) अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना था कि अपीलकर्ता और पीड़िता दोस्त थे और उनके बीच यौन संबंध पीड़िता की सहमति से बने थे। वह आगे यह भी बताएगा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए उसके बयान में। पीड़िता ने कहा है कि उसके साथ कोई बलात्कार नहीं किया गया था, लेकिन मुकदमे के दौरान उसने यू-टर्न ले लिया और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए बयान के ठीक विपरीत बयान दिया।

15) माना जाता है कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 17 वर्ष थी, जब आरोपी-अपीलकर्ता ने उसे फुसलाया और 27.10.2015 को पहली बार उसके साथ बलात्कार किया। हाई स्कूल परीक्षा के संबंध में वर्ष 2012-13 के उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनटियाल के मूल राजपत्र की सत्यापित प्रति (अ.-4) में पीड़िता की जन्मतिथि 25.07.1998 दर्शाई गई है। जिससे स्पष्ट है कि घटना के दिन पीड़िता नाबालिग थी। यदि घटना की तारीख पर पीड़िता नाबालिग थी, तो उसकी सहमति, यदि कोई हो, महत्वहीन थी। इस प्रकार, तर्क

आगे बढ़ा अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह कहना कि पीड़िता की सहमति से उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे, गलत धारणा है। जहां तक दलील दी गई है कि पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए अपने बयान से पूरी तरह यू-टर्न ले लिया है। और मुकदमे के दौरान अपने बयान में विरोधाभासी बयान दिया था, यह रिकॉर्ड पर आया है कि अपने मुख्य परीक्षण में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए अपने बयान में उसने जो कुछ भी कहा था। मजिस्ट्रेट के समक्ष यह कहा गया कि वह आरोपी-अपीलकर्ता के दबाव में थी और उसने आरोपी-अपीलकर्ता की धमकी और प्रलोभन के तहत मजिस्ट्रेट और पुलिस को गलत बयान दिया था। सुनवाई के दौरान जब धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया गया। पीड़िता को दिखाए गए तो उसने शपथ लेकर कहा कि बयान में दर्ज आधे से ज्यादा तथ्य गलत हैं और जो कुछ भी उसने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में कहा है। आरोपी-अपीलकर्ता के आदेश के अनुसार कहा गया था। इस प्रकार, दूसरे सबमिशन में भी कोई बल नहीं है।

16) अपीलकर्ता के विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करेंगे कि वर्तमान मामले में पीड़ित पर कोई ओसिफिकेशन परीक्षण नहीं किया गया था, जो घटना की तारीख पर पीड़ित की उम्र के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी पर उचित संदेह पैदा करता है।

17) अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दिये गये तर्क में कोई दम नहीं है। यह हैकिशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम 12 के उप नियम (3) में विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या किशोर से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण जांच अदालत द्वारा की जाएगी या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति साक्ष्य प्राप्त करके –

(ए) (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में;

(ii) उस स्कूल (प्ले स्कूल के अलावा) से जन्मतिथि प्रमाण पत्र जिसमें पहली बार भाग लिया था; और उसके अभाव में;

(iii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र…।

(बी) और केवल उपरोक्त खंड (ए) में से किसी एक (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में, एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जाएगी।

इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नियम 12(3) में उल्लिखित किसी भी उपरोक्त विकल्प के अभाव में ही संबंधित बच्चे की उम्र का आकलन चिकित्सकीय राय के आधार पर करने का आदेश दिया जाना चाहिए।

18) अपीलकर्ता के विद्वान वकील आगे यह प्रस्तुत करेंगे कि अपीलकर्ता को अपराध में झूठा फंसाया गया है। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसे अपराध में झूठा फंसाया गया था, इससे भी उसे कोई मदद नहीं मिली क्योंकि पीड़िता एक युवा लड़की है और उसका पूरा भविष्य उसके सामने है। पीड़िता बिना किसी ठोस कारण के आरोपी-अपीलार्थी को झूठे मामले में क्यों फंसायेगी? यह प्रासंगिक हैयहां उल्लेख करें कि एक महिला, विशेष रूप से एक युवा लड़की, कभी भी इतना नीचे नहीं गिरेगी कि किसी को झूठे बलात्कार के मामले में फंसा दे, जब उसकी खुद की प्रतिष्ठा दांव पर हो। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भरोसेमंद हैं और अभियोजन की कहानी में विश्वास जगाते हैं। यदि मामले के रिकॉर्ड पर दिखाई देने वाली परिस्थितियों की समग्रता से पता चलता है कि अभियोजक के पास आरोपित व्यक्ति को गलत तरीके से शामिल करने का कोई मजबूत मकसद नहीं है, तो अदालत को उसके साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।

19) अंत में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि अपीलकर्ता को उसके कृत्य के अनुपात में कठोर दंड दिया गया है। हालाँकि, रिकॉर्ड पर मौजूद पूरे सबूतों की जांच करने पर, मेरी सुविचारित राय है कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को उन अपराधों के लिए दोषी पाया है जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया था।

20) यह एक गंभीर प्रकृति का मामला है जिसमें आरोपी-अपीलकर्ता द्वारा एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर न केवल एक बार बल्कि दो बार बलात्कार किया गया और उसके बाद उसे लगातार धमकी दी गई कि उसके पूरे परिवार के सदस्यों को मार दिया जाएगा। उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी। इस प्रकार, पीडब्लू1, पीडब्लू3 और पीडब्लू4 के बयान, मेडिकल जांच रिपोर्ट (एक्सटेंशन ए-8) द्वारा समर्थित पीड़िता की गवाही से, यह उचित संदेह से परे साबित होता है किआरोपी-अपीलकर्ता उस्मान उर्फ समीर ने आईपीसी की धारा 363, 366ए, 376(2)(एन) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(आई)(एल)/6 के तहत दंडनीय अपराध किया। यह अदालत अभियुक्त-अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज की गई दोषसिद्धि और सजा से पूरी तरह सहमत है। पीड़िता के साथ-साथ अभियोजन पक्ष की ओर से जांच की गई और मेडिकल रिपोर्ट से पूरी तरह से प्रमाणित अन्य गवाहों की गवाही में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।

21) ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, मुझे ट्रायल कोर्ट की ओर से कानून या तथ्य की या साक्ष्य की सराहना में कोई त्रुटि नहीं मिली। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय और आदेश में इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपील एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अभियुक्त-अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी गई है।

22) निचली अदालत का रिकॉर्ड वापस भेजा जाए.

(लोकपाल सिंह, जे.)
25 जनवरी 2021.